

न्यायालय - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)

---: विविध आदेश :---

बैतूल, दिनांक--- 28-07-2018

क्रमांक---क्यू/सी.जे.एम./2018

जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित न्यायालयों के लिये **माह-अगस्त-2018** में निम्नानुसार कार्य दिवस पर मध्याह्न समय दोपहर 02:30-03:00 बजे तक सभी न्यायालयों में अप्पडरट्रायल अभियुक्तों से संबंधित रिमांड कार्यवाही जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपादित किया जाना है, अतः इस संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय बैतूल के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये सभी न्यायिक दण्डाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अप्पडरट्रायल अभियुक्तों से संबंधित रिमांड कार्यवाही, संबंधित दिनांक को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे तथा रिमांड संबंधी कार्यवाही वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से कराये जाने के पश्चात उन्हें पुनः प्राप्त करें तथा रिमांड कार्यवाही से संबंधित आवश्यक कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार न्यायिक दण्डाधिकारी के सम्बन्ध में निम्नानुसार व्यवस्था आदेश पारित किया जाता है:---

स0क0	अधिकारी का नाम	माह अगस्त-2018
1	श्री गौतम सिंह मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	6, 13, 20, 23, 31
2	श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	7, 10, 14, 21, 28
3	सुश्री विजयश्री राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1, 3, 8, 24, 29
4	श्रीमती सीता कनोजे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	2, 16, 23, 30
5	श्रीमती अनीता खजूरिया मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	4, 11, 17, 25

नोट:-

1:- यदि मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणवश वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यवाही संपादित करने हेतु असमर्थ रहता है, या उक्त तिथि पर अवकाश पर रहता है, तो वह इसकी सूचना मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल को तत्काल समुचित समय पूर्व देगा एवं वर्तमान कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2018 के परिशिष्ट "अ" के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग की कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

2:- संबंधित पीठासीन अधिकारी वीडियोकांफ्रेंसिंग स्थल पर ठीक 02:30 बजे पहुँचने का कष्ट करें।

3:- माह अगस्त-2018 में किसी तिथि पर पूर्व घोषित अवकाश निरस्त होने तथा उसके स्थान पर कार्यदिवस घोषित होने पर उक्त माह में जिन दिवसों में जिस मजिस्ट्रेट की डियूटी लगाई गई है वह मजिस्ट्रेट उक्त अवकाश दिवस में वीडियो कांफ्रेंसिंग की कार्यवाही करेंगे।

  
(रेखा आर. चन्द्रवंशी)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)

–:: विविध आदेश ::–

क्रमांक-क्यू/सी.जे.एम./2018

बैतूल, दिनांक-28.07.2018

जिला मुख्यालय बैतूल पर स्थित न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों के लिये **माह –अगस्त 2018** के अवकाश के दिन की अवधि रविवार एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड पर आवश्यक कार्य किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्बन्ध में निम्नानुसार रिमाण्ड व्यवस्था आदेश पारित किया जाता है तथा रिमाण्ड ड्यूटी चार्ट के अनुसार ही न्यायिक अधिकारी रिमाण्ड ड्यूटी निष्पादित करेंगे :-

क्र.	दिनांक	न्यायिक दण्डाधिकारी का नाम			
		मुख्यालय बैतूल	तहसील न्यायालय		
			आमला	भैंसदेही	मुलताई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	05.08.2018	सुश्री विजयश्री राठौर J.M.F.C., बैतूल	श्रीमती मीना शाह, J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., भैंसदेही	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., मुलताई
2	09.08.2018	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., बैतूल	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C., आमला	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., भैंसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C मुलताई
3	12.08.2018	श्रीमति सुनीता ताराम J.M.F.C., बैतूल	श्रीमती मीना शाह, J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., भैंसदेही	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., मुलताई
4	15.08.2018	श्रीमती सीता कनोजे J.M.F.C., बैतूल	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C., आमला	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., भैंसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C मुलताई
5	18.08.2018	श्रीमती अनीता खजूरिया J.M.F.C., बैतूल	श्रीमती मीना शाह, J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., भैंसदेही	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., मुलताई
6	19.08.2018	सुश्री विजयश्री राठौर J.M.F.C., बैतूल	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C., आमला	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., भैंसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C मुलताई
7	22.08.2018	श्रीमति सुनीता ताराम J.M.F.C., बैतूल	श्रीमती मीना शाह, J.M.F.C., आमला	श्री विनोद अहिरवार J.M.F.C., भैंसदेही	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., मुलताई
8	26.08.2018	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., बैतूल	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C., आमला	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., भैंसदेही	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C मुलताई

**नोट :-**

01. उक्त माह-अगस्त 2018 में अन्य किसी कार्यदिवस पर अवकाश घोषित किये जाने पर जिला मुख्यालय बैतूल पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा तहसील न्यायालय-आमला, भैंसदेही एवं मुलताई पर उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के आवश्यक कार्य देखेंगे।
02. तहसील न्यायालय आमला में न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने की दशा में तहसील मुलताई में तथा तहसील भैंसदेही में न्यायाधीशगण के अवकाश पर होने की दशा में जिला मुख्यालय बैतूल में रिमाण्ड ड्यूटी के मजिस्ट्रेट ड्यूटी को संपादित करेंगे
03. यदि मजिस्ट्रेट अपरिहार्य कारणवश रिमाण्ड ड्यूटी हेतु असमर्थ रहते हैं, तो न्यायाधीशगण आपस में सहमति प्राप्त कर रिमाण्ड ड्यूटी समायोजित बाबत लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल को प्रेषित करेंगे, तदुपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्वीकृति पश्चात रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।
04. संबंधित मजिस्ट्रेट के ट्रेनिंग पर होने पर अर्थात् अन्य आकरिमक स्थिति निर्मित होने की दशा में वर्तमान कार्य विभाजन वर्ष 2018 के परिशिष्ट - अ के अनुसार रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जाएगी।



(रेखा आर. चन्द्रवंशी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

बैतूल, दिनांक- 28.07.2018

पृष्ठा. कमांक-क्यू/सी.जे.एम./2018

**प्रतिलिपि :-**

- (1) श्रीमती अनीता खजूरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (2) श्री गौतम सिंह मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (3) श्रीमती सीता कन्नोजे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (4) श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (5) सुश्री विजयश्री राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल
- (6) श्रीमती रंजीताराव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई
- (7) श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई
- (8) श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
- (9) श्री धर्मन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
- (10) श्रीमती मंजूषा तेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैंसदेही
- (11) श्री विनोद कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैंसदेही
- (12) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
- (13) कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल
- (14) अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (15) पुलिस अधीक्षक बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (16) प्रभारी अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग बैतूल की ओर इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि उक्त विविध आदेश को मुख्यालय एवं तहसील में सभी न्यायिक दण्डाधिकारियों के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जावे।



(रेखा आर. चन्द्रवंशी)

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैतूल  
जिला-बैतूल (म.प्र.)